| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>प्यारेलाल सोनी बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर )<br>**सू.अ.अ. अपील संख्या 218/2019** | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.12.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्यारेलाल सोनी, पता अजमेर रोड़, बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.10..2019 में उसके द्वारा (1) अधिशाषी अधिकारी न0पा0 पीपाड़शहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी जी की मौजूदगी में दि0 18.06.19 को बोर्ड की साधारण बैठक में प्रार्थीया संतोषीदेवी पत्नी सत्यनारायण सोनी को नियम विरूद्ध बिना वाणिज्यक पट्‌टों के निर्माण स्वीकृति के निर्णय पत्रावली आप श्रीमान् द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना पत्रावली उपलब्ध करवाने एवं अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.02.17 18:12:06 IST
Reason: SelfAttested